



## छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) रायपुर

प्रकरण क्रमांक—M-PRO-2021-01428

— समक्ष —

श्री विवेक ढाँड, अध्यक्ष  
श्री नरेन्द्र कुमार असवाल, सदस्य  
श्री राजीव कुमार टम्टा, सदस्य

श्रीमती रीता दौलतानी, पति—श्री सूरज कुमार दौलतानी,  
निवासी—हाऊस नं.—39, पाठक हॉस्पिटल गली,  
सेन्ट्रल कॉलेज के पीछे, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.) ..... आवेदिका

विरुद्ध

मेसर्स एम. आहूजा प्रोजेक्ट (इंडिया) प्रा.लि.,  
द्वारा—डायरेक्टर श्री महेन्द्र आहूजा, पिता—श्री प्रहलाद आहूजा,  
निवासी—साईं कुंज, काली माता मंदिर रोड,  
सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.) ..... अनावेदकगण

उपस्थिति :-

- (1) श्री मृणाल अग्रवाल / श्री सर्वेश खटनानी, अधिवक्ता वास्ते आवेदक।
- (2) श्री शाश्वत सुराना, अधिवक्ता वास्ते अनावेदक।

(प्रोजेक्ट—“ग्रीन ग्लोरी”, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर)

रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर— PCGRERA220618000283

आदेश

(दिनांक—13/08/2021)

आवेदिका श्रीमती रीता दौलतानी, पति—श्री सूरज कुमार दौलतानी, निवासी—हाऊस नं.—39, पाठक हॉस्पिटल गली, सेन्ट्रल कॉलेज के पीछे, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा—31 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप—ड (FORM-M) में आवेदन कर अनावेदक के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदिका का कथन है कि उसने अनावेदक के प्रोजेक्ट “ग्रीन ग्लोरी” खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) में प्लैट क्रमांक—आई—401 को क्रय करने हेतु दिनांक 19.11.2010 को लकी ड्रॉ में भाग लिया था। इसके पश्चात् अनावेदक द्वारा दिनांक 23.11.2010 को आबंटन पत्र जारी करते हुए भुगतान की जानकारी तथा प्रोजेक्ट ब्रोशर उपलब्ध कराया गया था। आवेदिका ने विवादित सौदे के एवज में राशि रुपये 20,20,000/- का भुगतान

आज दिनांक तक किया है। परंतु अनावेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई भुगतान अनुसूची अनुसार कुल मूल्य रुपये 17,90,000/- है। आवेदिका ने विद्युत कनेक्शन व रजिस्ट्री शुल्क हेतु अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है। अतः आवेदिका ने अनावेदक को विवादित फ्लैट की रजिस्ट्री कर आधिपत्य सौपने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया है। साथ ही आवेदिका ने अतिरिक्त भुगतान की गई राशि को विद्युत कनेक्शन व रजिस्ट्री शुल्क के रूप में समायोजित कर शेष अतिरिक्त राशि को ब्याज सहित वापस दिलाये जाने तथा अन्य राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है।

2. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई-मेल के द्वारा भी नोटिस व दस्तावेज प्रेषित किये गये।
3. अनावेदक ने अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत जवाब में आवेदिका के आवेदन को अस्वीकार करते हुये प्रारंभिक आपत्ति में यह उल्लेख किया है कि आवेदिका ने उनके मध्य हुये संव्यवहार से 10 वर्ष पश्चात् वर्तमान शिकायत प्रस्तुत की है, जो पोषणीय नहीं है। अनावेदक के अनुसार आवेदिका ने वर्ष 2010 में सौदे के पूर्ण होने का लेख किया है। परंतु आवेदिका द्वारा अपने तथाकथित कथन की अनावेदक ने वर्ष 2010 में सौदा पूर्ण नहीं किया है, के दो वर्ष के भीतर सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई है। अनावेदक ने बताया है कि आवेदिका ने सौदा निरस्तीकरण करने की मंशा होने के कारण निरस्तीकरण का शुल्क का भुगतान करने से बचने के उद्देश्य से उपरोक्तानुसार अवधि में कोई कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन समय बाधित है। आवेदिका ने बुकिंग की शर्तों से सहमत होकर ही विवादित सौदा किया था। अतः आवेदिका द्वारा सौदे के नियम व शर्तों के बारे में अनभिज्ञता का उल्लेख करना अनुचित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी *Bharti Knitting Co. Vs. DHL World-wide Courier (1996) 4 SSC, 704* में उक्त सिद्धांत को माना है। अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नहीं है। अनावेदक ने अपने जवाब में आवेदिका के आवेदन को अस्वीकार करते हुए उल्लेखित किया है कि विवादित फ्लैट का कुल मूल्य रुपये 20,73,240/- है। अनावेदक के अनुसार 1001 वर्गफीट के सभी अपार्टमेंट्स हेतु भवन अनुज्ञा प्राप्त करते समय फ्लैट के क्षेत्रफल में 63 वर्गफीट की वृद्धि हुई थी, जिसके कारण 1690 प्रति वर्गफीट की दर से गणना करने पर अतिरिक्त मूल्य रुपये 1,06,470/- होता है। अनावेदक ने वर्ष 2011-2012 में विभिन्न फ्लैट धारकों हेतु आयोजित आम सभा में उक्त के संबंध में सूचित कर दिया था। इसके पश्चात् बढे हुए मूल्य के भुगतान उपरांत ही विभिन्न फ्लैट धारकों द्वारा वर्ष 2012-2013 में रजिस्ट्री करवाई गई है। अनावेदक के

अनुसार विवादित ब्लॉक के विभिन्न फ्लैट्स में वर्ष 2012–2013 से कई फ्लैट धारक निवासरत हैं। किंतु आवेदिका ने अनावेदक द्वारा लगातार आग्रह करने के बावजूद भी रुपये 20,63,240/- के विरुद्ध रुपये 17,60,000/- का भुगतान अत्यंत विलंब करते हुए वर्ष 2017 तक किया है तथा रुपये 3,03,240/- का भुगतान शेष है। इस प्रकार बुकिंग की शर्तों के अनुसार आवेदिका को ब्याज सहित रुपये 7,16,420/- का भुगतान करना है। इसके अतिरिक्त आवेदिका को वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2020 तक रुपये 84,000/- रखरखाव शुल्क का भुगतान अनावेदक को/रहवासी सहकारी समिति को व रुपये 39,200/- के संपत्ति कर का भुगतान अनावेदक को करना है। अर्थात् आवेदिका को अनावेदक को दिसम्बर, 2020 तक कुल रुपये 11,42,860/- का भुगतान करना है। अनावेदक द्वारा लगातार सूचित करने के बावजूद भी आवेदिका द्वारा संपूर्ण भुगतान नहीं किये जाने के कारण विवादित फ्लैट का आधिपत्य सौपा नहीं जा सका है। आवेदिका ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर अनुचित लाभ पाने के उद्देश्य से तथा उपरोक्तानुसार उल्लेखित भुगतान से बचने के लिए वर्तमान शिकायत प्रस्तुत की है। आवेदिका को भुगतान अनुसूची अनुसार बुकिंग दिनांक से 30 माह के भीतर अर्थात् दिनांक 30.06.2012 तक राशि का भुगतान करना था। परंतु आवेदिका ने उपरोक्त तथ्य को छुपाते हुए भुगतान में 09 वर्ष का विलंब कर वर्तमान शिकायत प्रस्तुत की है। अनावेदक, आवेदिका द्वारा रुपये 11,42,860/- का भुगतान किये जाने पर रजिस्ट्री निष्पादित कर आधिपत्य सौपने हेतु तैयार है। अनावेदक ने आवेदिका द्वारा एनेक्सर-ए-5 के रूप में संलग्न दस्तावेज को कूटरचित बताते हुये आवेदिका द्वारा प्रस्तुत एनेक्सर-ओ को भी गलत बताया है। अनावेदक ने उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदिका को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान कर रजिस्ट्री निष्पादित करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया है। अनावेदक ने अन्य राहत प्रदान करने का भी अनुरोध किया है।

4. प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा अपने-अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेज और सुसंगत तर्क प्रस्तुत किये गये। आवेदिका के आवेदन, अनावेदकगण के जवाब, उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने उपरांत प्रकरण में निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं :-

1. क्या आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन भू-संपदा(विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत पोषणीय है ?
2. आवेदिका ने विवादित सौदे हेतु कितनी राशि का भुगतान किया है ?
3. क्या विवादित फ्लैट के आधिपत्य सौपने में विलंब हुआ है ? यदि हाँ, तो आधिपत्य में हुये विलंब हेतु कौन उत्तरदायी है ?

4. क्या आवेदिका प्राधिकरण के माध्यम से किसी अनुतोष प्राप्ति की हकदार है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या होगा ?
5. **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 :-** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका ने अनावेदक के प्रोजेक्ट में प्रश्नाधीन प्लैट को क्रय करने हेतु वर्ष 2010 में सौदा किया था। परंतु आज दिनांक तक आवेदिका को विवादित प्लैट का आधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ। अनावेदक ने प्रकरण की सनुवाई के दौरान प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति में वर्ष 2010 में सौदा होने पश्चात् 30 माह के भीतर अर्थात् जून, 2010 तक आधिपत्य प्राप्त नहीं होने पर वाद कारण उत्पन्न होने के बावजूद आवेदिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए आवेदिका के आवेदन को समय बाधित बताया है। परंतु यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि अनावेदक ने विभिन्न किशतों में वर्ष 2017 तक आवेदिका से रुपये 17,60,000/- प्राप्त होना स्वीकार किया है। अनावेदक ने ना तो आवेदिका को विवादित प्लैट का आधिपत्य सौंपने हेतु आवश्यक कार्यवाही की है और ना ही विवादित सौदा बुकिंग की शर्तों अनुसार निरस्त कर भुगतान की गई राशि वापस की है। इस प्रकार उभय पक्षों के मध्य हुआ सौदा पूर्ण नहीं हुआ है। अर्थात् वाद मुख्य कारण “ प्लैट का विधिवत् आधिपत्य प्राप्त नहीं होना” निरंतर बना हुआ है। अतः इस संबंध में अनावेदक की आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत पोषणीय है।
6. **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 :-** आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में विवादित सौदे का कुल मूल्य (16,90,000 + 25,000 + 75,000 = ) रुपये 17,90,000/- दर्शाया है तथा इसके एवज में कुल राशि रुपये 20,20,000/- का भुगतान करने का उल्लेख किया है। परंतु अनावेदक ने निम्नानुसार सौदे राशि उल्लेखित की है :-
1. प्लैट का बेसिक प्राईज - 16,90,000/-
  2. बढ़े हुए क्षेत्रफल हेतु अतिरिक्त राशि - (1690 x 63 =) रुपये 1,06,470/-
  3. क्लब हाउस चार्ज - 25,000/-
  4. पार्किंग चार्ज - 75,000/-
  5. विद्युत चार्ज - 50,000/-
  6. टैक्स - 1,16,770/-

अर्थात् अनावेदक ने कुल सौदा राशि 20,63,240/- उल्लेखित की है। अनावेदक ने भवन अनुज्ञा के समय सौदेशुदा प्लैट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण मूल्य में वृद्धि होने का कथन करते हुए वर्ष 2011-2012 में आयोजित आम सभा में प्लैट धारकों को इस संबंध में सूचित करने का लेख किया है। परंतु अनावेदक ने प्लैट के क्षेत्रफल में वृद्धि को प्रमाणित करने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। हालांकि आवेदिका ने प्लैट के क्षेत्रफल में वृद्धि संबंधी अभिकथन का

अपने तर्क में खण्डन किया है, परंतु आवेदिका ने भी विवादित फ्लैट के क्षेत्रफल को प्रमाणित करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में प्राधिकरण द्वारा विवादित फ्लैट के क्षेत्रफल के संबंध में कोई विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। अतः प्राधिकरण, वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर कुल विक्रय मूल्य के बारे में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है। आवेदिका द्वारा रुपये 20,20,000/- के भुगतान को प्रमाणित करने हेतु प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों में से अनावेदक ने एनेक्सर-5 को कुटरेचित बताया है और एनेक्सर-ओ को अस्वीकार किया है। उक्त संबंध में दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदिका ने एनेक्सर-5 में जनवरी से सितम्बर तक वर्ष 2010 में नगद भुगतान की गई राशि का कार्ड प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज में टोकन क्रमांक-63 अंकित है और प्रदानकर्ता/प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी हैं। परंतु उक्त कार्ड में कहीं भी अनावेदक की सील नहीं है और ना ही आवेदिका ने प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर अनावेदक या उसके अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति के होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है। अतः उक्त दस्तावेज को भुगतान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार आवेदिका ने एनेक्सर-ओ में जो पेमेंट शेड्यूल प्रस्तुत किया है, उसमें भी कोई सील या हस्ताक्षर नहीं है। अतः उक्त दस्तावेज भी भुगतान का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। आवेदिका द्वारा भुगतान को प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत शेष रसीदों व बैंक खाते के विवरण से केवल रुपये 17,80,000/- का भुगतान प्रमाणित होता है। अतः वांछित साक्ष्य के अभाव में यह प्रतीत होता है कि आवेदिका ने विवादित सौदे हेतु रुपये 17,80,000/- का ही भुगतान किया है।

7. **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-3 :-** प्रकरण में प्रस्तुत बुकिंग फार्म के अनुसार अनावेदक को 30 माह के भीतर अर्थात् जून, 2012 तक फ्लैट का आधिपत्य सौपना आवेदिका को उक्त समयावधि सौदे की संपूर्ण राशि का भुगतान करना था। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका को आज दिनांक विवादित फ्लैट का विधिवत् आधिपत्य अप्राप्त है। अर्थात् यह अविवादित तथ्य है कि आधिपत्य प्राप्ति में विलंब हुआ है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदिका ने कुल भुगतान की गई राशि रुपये 17,80,000/- में से जून, 2012 तक रुपये 11,80,000/- का ही भुगतान किया था। आवेदिका ने शेष भुगतान की गई राशि का भुगतान किशतों में वर्ष 2013, 2014, 2015 व 2017 में किया है। इस प्रकार आवेदिका ने अंतिम भुगतान दिनांक 30 मार्च, 2017 को रुपये 2,50,000/- के रूप में किया है। अनावेदक ने अपने जवाब में आवेदिका द्वारा भुगतान में विलंब किये जाने को आधिपत्य में विलंब के कारण के रूप में उल्लेखित किया है। साथ ही अनावेदक ने विवादित ब्लॉक के अन्य फ्लैट धारक को वर्ष 2013 में आधिपत्य सौंपने के लिए प्रमाणित करने के लिए फ्लैट क्रमांक-आई-401 के क्रेता को प्रदत्त

आधिपत्य प्रमाण पत्र दिनांक 02.12.2013 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। किंतु अनावेदक ने विवादित फ्लैट का निर्माण उपरोक्त उल्लेखित अवधि तक पूर्ण हो जाने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। यदि अनावेदक ने निर्धारित समयवधि में फ्लैट का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था, तो क्या अनावेदक द्वारा आवेदिका को भुगतान पूर्ण करने के संबंध में कोई मांग पत्र प्रेषित किया गया ? यदि आवेदिका द्वारा भुगतान में विलंब किया जा रहा था, तो अनावेदक ने आबंटन की नियम व शर्तों की कंडिका-10 व 11 अनुसार आबंटन निरस्त कर भुगतान की गई राशि वापस क्यों नहीं की ? अनावेदक ने उपरोक्त के संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसी प्रकार आवेदिका ने भी भुगतान में हुए विलंब के संबंध में कोई समुचित कारण या सारवान् साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। निष्कर्षतः यह प्रतीत होता है कि विवादित मकान के आधिपत्य में हुए विलंब हेतु उभय पक्ष उत्तरदायी है।

7. **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-4 :-** पूर्व वर्णित विचारणीय बिन्दुओं की विवेचना से स्पष्ट है कि विवादित मकान के आधिपत्य में विलंब हेतु उभय पक्ष उत्तरदायी है। यदि अनावेदक द्वारा उल्लेखित सौदे राशि रुपये 20,73,240/- में से क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण संयोजित अतिरिक्त राशि रुपये 1,06,470/- को कम कर सौदे राशि की गणना की जाये तो कुल राशि रुपये 19,66,770/- होती है। इसमें से आवेदिका ने 30 मार्च, 2017 तक रुपये 17,80,000/- का भुगतान कर दिया था। अर्थात् केवल रुपये 1,86,770/- का ही भुगतान शेष था। यह विचारणीय प्रश्न है कि इतनी अधिक राशि का भुगतान करने उपरांत आवेदिका आधिपत्य प्राप्ति हेतु उपरोक्तानुसार शेष राशि का भुगतान क्यों नहीं करेगी ? अतः उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवेदिका द्वारा भुगतान करने में सक्षम नहीं होने संबंधी अनावेदक का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। निष्कर्षतः आवेदिका अप्रैल, 2017 से भुगतान की गई राशि पर चार वर्ष चार माह की विलंबित अवधि हेतु ब्याज राशि प्राप्त करने की हकदार है। चूँकि आवेदिका ने भी संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान नहीं किया है और यदि अनावेदक द्वारा उल्लेखित शेष राशि रुपये 3,03,240/- को मान्य कर लिया जाये, तो अनावेदक भी उक्त राशि पर उपरोक्तानुसार उल्लेखित विलंबित अवधि चार वर्ष चार माह हेतु ब्याज राशि प्राप्त करने की हकदार है।
8. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 17 के अनुसार "प्रमोटर द्वारा आबंटिती को देय ब्याज की दर, भारतीय स्टेट बैंक की ऋणदाता दर की उच्चतम मार्जिनल लागत प्लस दो प्रतिशत होगी।" इसके अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में 4 वर्ष 4 माह की विलंबित अवधि हेतु भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 10.07.2021 से प्रभावशील दरों के अनुसार देय ब्याज की दर  $7.30\% + 2\% = 9.30\%$  होगी। अर्थात् अधिनियम की धारा 18 व सहपठित नियम 17 के अनुसार आवेदिका द्वारा भुगतान की गई कुल राशि रुपये 17,80,000/- पर उक्त दर से 4

वर्ष 4 माह की विलंबित अवधि हेतु ब्याज राशि रुपये 7,17,340/- की हकदार है। चूँकि आवेदिका ने रुपये 3,03,240/- का भुगतान नहीं किया है, अतः अनावेदक भी उपरोक्तानुसार उल्लेखित दर और विलंबित अवधि हेतु रुपये 1,22,205/- की ब्याज राशि का हकदार है। उपरोक्त उल्लेखित ब्याज राशि व सौदे की शेष राशि के समायोजन पश्चात् आवेदिका ब्याज राशि रुपये ( 7,17,340 - 1,22,205 - 3,03,240 = ) रुपये 2,91,895/- प्राप्त करने की हकदार है। किंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि आवेदिका द्वारा विलंब किये जाने पर अनावेदक को वर्ष 2014 से विवादित फ्लैट के रखरखाव शुल्क के रूप में रुपये 84,000/- का भुगतान करना पड़ा है, जो अनावेदक ने अपने जवाब में उल्लेखित किया है। अतः उपरोक्त राशि का भी समायोजन करने पर ब्याज राशि रुपये 2,07,895/- होती है। हाँलाकि अनावेदक ने संपत्ति कर की राशि का भी उल्लेख किया है; परंतु यह महत्वपूर्ण है कि विवादित फ्लैट का विधिवत् आधिपत्य अनावेदक को ही प्राप्त है। इसलिए संपत्ति कर भुगतान करने का दायित्व अनावेदक का है। निष्कर्षतः आवेदिका, विवादित फ्लैट के विधिवत् आधिपत्य के साथ ब्याज राशि रुपये 2,07,895/- प्राप्त करने की हकदार है।

9. उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा आवेदिका का आवेदन स्वीकार करते हुये अनावेदक के विरुद्ध निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है:-
  1. अनावेदक, दो माह के भीतर विवादित फ्लैट का पंजीयन आवेदिका के नाम पर करना सुनिश्चित करे। रजिस्ट्री में होने वाला समस्त व्यय आवेदिका द्वारा वहन किया जावेगा।
  2. अनावेदक, दो माह के भीतर ब्याज राशि रुपये 2,07,895/- का भुगतान आवेदिका को करना सुनिश्चित करे।

सही/-  
(नरेन्द्र कुमार असवाल)  
सदस्य

सही/-  
(राजीव कुमार टम्टा)  
सदस्य

सही/-  
(विवेक ढाँड)  
अध्यक्ष